राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःनिस/निदेशक(जन स्वास्थ्य)/2017/101 दिनांकः 29.07.2017

आदेश

राज्य के कई जिलों में अतिवृष्टि/अधिक बरसात के कारण चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाओं की अति आवश्यकता को देखते हुये विभाग के समस्त चिकित्सकों, नर्सिंग एंव पैरा–मेडिकल स्टाफ का अवकाश एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त स्थिति से निपटने एंव आमजन को चिकित्सा सेवाये उपलब्ध कराने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी अपने–अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेगें एंव बिना अनुमति के मुख्यालय नही छोडेगें।

किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि अवकाश आवश्यक हो तो प्रमुख स्वास्थ्य सचिव महोदया अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वानुमति एंव अवकाश स्वीकृत करवा कर ही मुख्यालय छोडेगें। उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें, यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई तो नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(डॉ0 वी.के. माथुर)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एंव मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
5. निदेशक,(आरसीएच/एड्स), मुख्यालय।
6. अतिरिक्त निदेशक (ग्रास्वा/राजपत्रित/प्रशासन/विप्र), मुख्यालय।
7. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें–जोन, राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश सभी सम्बन्धित को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।